तत्काल

संख्या-RF 656/9-9-18- 111ज/13टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, बिलारी जनपद-मुरादाबाद/
नगर पालिका परिषद, जालौन जनपद- जालौन /
नगर पालिका परिषद, नवाबगंज जनपद-बाराबंकी ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 11 जून , 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में नया सवेरा नगर विकास योजना(**वर्तमान में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना**) के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में अनुदान सं0-37/83 से स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कमशः अपने पत्रांक-167 न0पा0प0बि0/2018-19, दिनांक 29-05-2018, पत्रांक सं0 1230/न0पा0प0जालौ0/नया सवे0न0वि0यो0, दिनांक-10-03-2018,पत्रांक-1954/मु0का0/2017-18, दिनांक-15-03-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत(**वर्तमान में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना**) ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निकायो द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अनुदान संख्या	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मुरादाबाद	न0पा0प0 बिलारी	संख्या-152/2016/आरएफ1300/नौ-9-16-103आरएफ/16,दिनाक-23-11-2016	37	20.00
		-तदैव-	सं0-135/2016/आरएफ956/नौ-9-16-38आरएफ/16,दिनांक-27-10-2016	37	86.41
		-तदैव-	सं0-102/2016/आरएफ955/नौ-9-16-43आरएफ/16,दिनांक-08-08-16	37	330.11

S.k.Go's

2	जालौन	न0पा0प0 जालौन	शा0सं0–161 / 2016 / आरएफ1375 / नौ–9–16–1 11आरएफ / 16, दिनांक–08–12–2016	83	40.00
3	बाराबंकी	न0पा0प0 नवाबगंज	शा0सं0–08 / 2017 / आरएफ 11 / नौ–9–17–70आरएफ / 16टी0सी0दिनांक 03–01–2017	37	231.50

3. उपरोक्तानुसार कालम–03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की **उपयोगिता अवधि दिनांक–31.12.2018 तक बढायी जाती है**। उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

4. सम्बन्धित निकायों द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय तथा यथाशीघ्र स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के अन्दर धनराशि का नियमानुसार व्यय / उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31.12.2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, मुरादाबाद / जालौन / बाराबंकी।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग –8

7–गार्ड फाइल / वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

S.k.Go's